12.03.2025

पत्रावली पेश हुई।

आधिवक्ता प्रार्थीगण अनुपस्थित/आधिवक्ता प्रार्थीगण के प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 9 सी.पी.सी. पर सुना गया। आधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना-पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण वृद्ध महिला है, इसलिए उपरोक्त तारीख पेशी पर न्यायालय में उपस्थित रहने में असमर्थ होने के कारण अनवान प्रकरण की तरफ जिम्मेदार वकील को दौरे पर जाना था, दिनांक 12.06.2024 को प्रकरण अनवान की तारीख पेशी की कार्यवाही में प्रार्थीगण अथवा आधिवक्ता को हाजिर न्यायालय आना था, मगर प्रार्थीगण वृद्ध महिला व अनपढ़ होने के कारण अदालत नहीं आ सके, आधिवक्ता के मरीज पर रहे, दिनांक 12.06.2024 को अपनी उपस्थिति नहीं दे पाने जिससे प्रकरण खारिज कर दिया गया। अतः निवेदन है कि उक्त वाद दिनांक 12.06.2024 को उपस्थित फरमाकर प्रार्थना-पत्र वाद बहाल किये जाने का आदेश फरमावें। अप्रार्थीगण के लोहिक वाद तामील प्राप्त उक्त

उभय आधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया गया, पूर्व वाद का अवलोकन किया, अतः न्यायहित में प्रार्थीगण का प्रार्थना स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा इस न्यायालय के [illegible] वाद सं. 278/2014 के [illegible] के आदेश दिये जाते हैं [illegible] नम्बर पर दर्ज किये जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर खारिज दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.04.24 17:00:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner